(c) The sub-catchment of Khudia river is only 3.3% of the Upper Catchment area of Damodar river and, therefore, could not be responsible for most of the soil erosion in the area. The stream also does not drain in any of the four reservoirs of Damodar Valley Corporation.

(d) and (e) Recognising the serious soil erosion and consequent siltation hazards to the multi-purpose reservoirs constructed in the area, a Centrally sponsored scheme of Soil Conservation in the Catchments of River Valley Projects has been in operation in the area since Third Five Year Plan. The scheme is implemented on the basis of identified priority watersheds with an Integrated Watershed Management Plan to treat agricultural, forest and other lands for moderating soil erosion and also control gully and stream bank erosion with the combination of structural and vegetative measures. Till 1981-82 2.56 lakh ha. were treated. The programme also included construction of 5216 small sediment and runoff control structuren and stream bank erosion control work at selected locations. The repeat capacity surveys of the Maithon and Panchet reservoirs as well as silt load data over the years from the water sheds have indicated that erosion and sediment production can be controlled with increasing coverage of the catchment area by soil conservation measures.

केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में होस्टल

7785. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रैंड होटल, शिमला जो कि केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण तथा प्रशासन के अधीन है के अलावा सरकारी होस्टलों के नाम क्या हैं, और

(ख) इनमें से प्रत्येक होस्टल पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना व्यय हुआ और उनसे कितनी आय हुई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) ग्राण्ड होटल, शिमला के अलावा निर्माण और आवास मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन निम्नलिखित अन्य होस्टल हैं,

(i) वर्किंग गर्ल्ज होस्टल, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली ।

(ii) कर्जन रोड अपार्टमेंट्स, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली ।

(iii) एशिया हाऊस, कस्तूबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली ।

(iv) मिन्टो रोड होस्टल, नई दिल्ली ।

(v) टैगोर रोड होस्टल, नई दिल्ली ।

(vi) प्रगति विहार होस्टल, नई दिल्ली ।

(vii) पटौदी हाऊस, नई दिल्ली ।

(viii) वेस्टर्न कोर्ट होस्टल, नई दिल्ली ।

(ix) अपार्टमेंट हाऊस, नीपेन सी रोड, बम्बई ।

(x) कोलीवाडा होस्टल, बम्बई ।

(xi) निजाम पैलेस, कलकत्ता ।

(ख) निर्माण और आवास मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन होस्टलों पर किया गया व्यय तथा प्राप्त आय अलग से दर्ज नहीं की जाती है क्योंकि यह सम्बन्धित राज्यों में अन्य स्थापनाओं का अंग है ।

उपभोक्ता संगठनों को आर्थिक सहायता

7786. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संगठनों को वर्ष 1981-82 और 1982-83 में आर्थिक सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो संगठन-वार कितनी धनराशि की सहायता की गई और उन्हें आर्थिक सहायता देने का क्या मानदण्ड है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ ।

(ख) धनराशि का संगठनवार ब्यौरा विवरण-1 में दर्शाया गया है ।

उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार दी जाती है । आर्थिक सहायता देने के मानदण्ड, जैसे कि मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्धारित किये गये हैं, विवरण-2 में दिये गये हैं ।

विवरण–एक

वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान जिन उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दी गई, उनके नाम दर्शाने वाला विवरण ।

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि (रु० में)
	1981-82	
1.	इण्डियन फेडरेशन आफ कन्ज्यूमर आरगेनाइजेशन्स, नई दिल्ली	23,090/-
2.	कन्ज्यूमर्स एक्शन फोरम, कलकत्ता	14,800/-
3.	कन्ज्यूमर एज्युकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, अहमदाबाद	18,000/-
4.	महिला दक्षता समिति, नई दिल्ली	5,210/-
	1982-83	
1.	कन्ज्यूमर एज्युकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, अहमदाबाद	36,840/-
2.	कन्ज्यूमर्स एक्शन फोरम, कलकत्ता	39,386/-

विवरण- दो

उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता देने के मानदण्ड

सहायता के लिए पात्र संगठन

उपभोक्ता संरक्षण के उपायों की योजना के अन्तर्गत सहायता चाहने वाले किसी भी संगठन को पात्रता की निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :—

(1) यह एक स्वैच्छिक संगठन होना चाहिये, जो उपभोक्ता के हितों के प्रोत्साहन और संरक्षण के कार्य में लगा हो ;

(2) इसका एक विधिक दर्जा होना चाहिये, जिसे सार्वजनिक निधियाँ सौंपी जा सकें । इस प्रयोजन के लिये यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या अन्य किसी ऐसे ही कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए;

(3) यह गैर-राजनीतिक, गैर-सरकारी और गैर-मालिकाना प्रबन्ध के अन्तर्गत होना चाहिए,

(4) इसके उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिये सुस्पष्ट उद्देश्य होने चाहिये;

(5) यह किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिये नहीं चलाया गया होना चाहिये बल्कि इसे जाति, मत, रंग अथवा धर्म के भेदभाव के बिना आम जनता की सेवा करनी चाहिये,

(6) इसके लेखा-विवरणों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा की जानी चाहिये ।